न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:—239 / 2025

प्रार्थी::—

जगमालाराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. अशोकसिंह उर्फ अशोक कुमार पुत्र भोपजी जाति पुरोहित
2. इन्द्रादेवी पुत्री गुमानाराम जाति पुरोहित
3. कमलादेवी पत्नी गुमानराम जाति पुरोहित
4. खम्मादेवी पत्नी भोपजी जाति पुरोहित
5. पारसराम पुत्र भोपसिंह जाति पुरोहित
6. बीबादेवी पुत्री गुमानराम जाति पुरोहित
7. भावना कंवर पुत्री गुमानराम जाति पुरोहित
8. ममता पत्नी सवाईसिंह जाति पुरोहित
9. ममता कंवर पुत्री गुमानराम जाति पुरोहित
10. रतनसिंह पुत्र रामाराम जाति पुरोहित
11. संतोषीदेवी पुत्री गुमानराम जात पूरोहित
12. सुरेश कुमार पुत्र गुमानराम जाति पुरोहित
13. सोनलदेवी पुत्र गुमानराम जाति पुरोहित
14. आसापूर्ण पुत्र श्री वल्लभ जाति नाई
15. छगनलाल पुत्र भजनलाल जाति सोनी
16. नवाराम पुत्र प्रभुराम जाति सुथार
17. भजनलाल पुत्र मोहनलाल जाति सोनी
18. राण्छोडराम पुत्र प्रतापाराम जाति नाई
19. राजेन्द्र कुमार पुत्र भजनलाल जाति सोनी
20. श्री धर पुत्र श्री वल्लभ जाति नाई
21. सुवीना पत्नी श्री वल्लभ जाति नाई
22. हीरालाल पुत्र भोपजी जाति पुरोहित
23. भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी शाखा [illegible]
24. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील[illegible] समदड़ी जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:—1. श्री कैलाश पुरी वकील प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

:: आदेश::

दिनांकः— 14.01.2026

प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 986/541 रकबा 6.3929 हैक्टेयर ग्राम देवडा तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की उत्तर की ओर लगती विप्रार्थी सं. 1 से 22 की खातेदारी भूमि ख.स. 492 व 505/5 रकबा 9.0973 हैक्टेयर भूमि से होता हुए आगे डामर सडक से मिलता है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या अ से ब विप्रार्थी सं. 1 से 22 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 22 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 22 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 22 की खातेदारी [illegible] जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार समदड़ी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:21 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत 986/541 रकबा 6.3929 हैक्टेयर के उत्तर सीमा में स्थित विप्रार्थी संख्या 1 से 22 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 492 व 505/5 में तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग गुलाबी से दर्शाए गया रास्ता ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 986/541 रकबा 6.3929 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1492 मे से 55 गट्ठा व खसरा संख्या 505/5 में से 60 गट्ठा लम्बाई में तथा 2 गट्ठा चौडाई अर्थात खसरा संख्या 492 में 0.0445 हैक्टेयर व खसरा संख्या 505/5 में 0.0486 हैक्टेयर भूमि रिपोर्ट के संलग्न बरंग गुलाबी से दर्शित में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप किये जाने हेतु आवश्यकता होने का कथन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थी को उक्त रास्ते अत्यांतिक आवश्यकता होना जाहिर करते हुए रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 22 को देने हेतु सहमत जाहिर की है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम देवडा तहसील समदडी की प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 986/541 रकबा 6.3929 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1492 मे से 55 गट्ठा व खसरा संख्या 505/5 में से 60 गट्ठा लम्बाई में तथा 2 गट्ठा चौडाई अर्थात खसरा संख्या 492 में 0.0445 हैक्टेयर व खसरा संख्या 505/5 में 0.0486 हैक्टेयर भूमि रिपोर्ट के संलग्न बरंग गुलाबी से दर्शित भूमि, पर रास्ता निका[illegible] जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रास्ते हेतु [illegible] के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार समदड़ी को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार समदड़ी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2026/1029 दिनांक 22.12.2026 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 'झ'

ज़ी नक्शा

ौजा- रेवड़ा

बरा सं. 986/541 में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता

वड़ा परगना सीवाना हदवस्त नम्बर 31 साल पैम

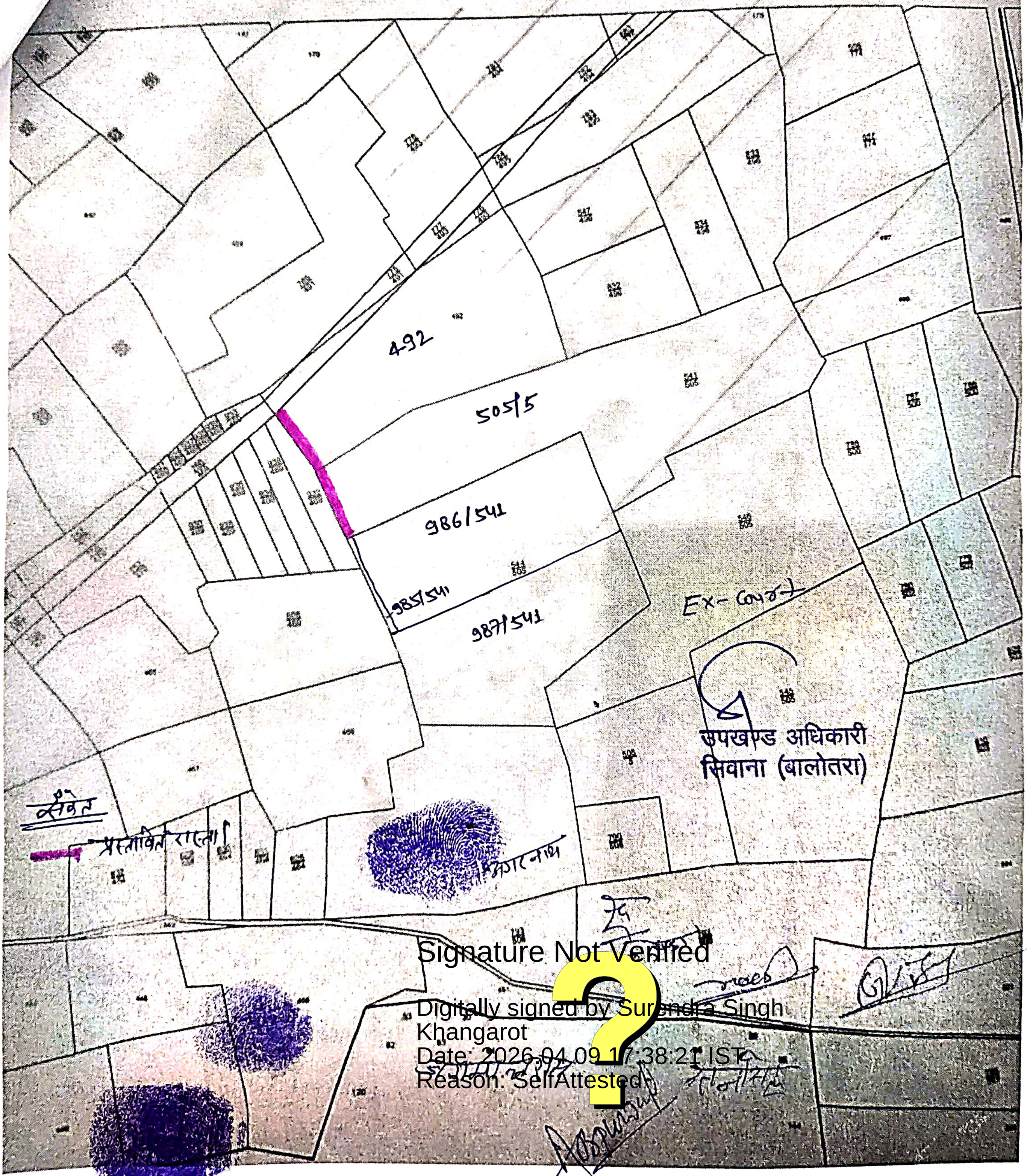

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner